भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1754

10.03.2025 को उत्तर के लिए

पहाड़ी क्षेत्रों में परियोजनाएं

1754 .श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के भविष्य में स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव के बारे में जानकारी है, यदि हां, तो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख निर्माण परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पहाड़ी क्षेत्रों की पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह(

(क) और (ख) केंद्रीय सरकार ने विकास/निर्माण परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार की है और समय-समय पर यथासंशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 में इसे निर्धारित किया है। ईआईए अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में उल्लिखित भवन निर्माण कार्य, नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाओं तथा राजमार्गों का निर्माण सहित सभी परियोजनाओं/क्रियाकलापों का क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, इस समिति द्वारा पर्यावरणीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनकी विधिवत जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन परियोजनाओं का पर्यावरण पर प्रभाव न्यूनतम हो। परियोजनाओं की पर्यावरणीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से कड़ी जांच की जानी सुनिश्चित किए जाने के बाद ही इन परियोजनाओं को आवश्यक सामान्य और विशिष्ट शर्तों को शामिल करते हुए पर्यावरणीय सुरक्षोपाय प्रदान किए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों/भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई प्रमुख निर्माण परियोजनाओं (जलविद्युत) का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

यह मंत्रालय सभी निर्माण परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति देते समय पहाड़ी क्षेत्रों सहित संवेदनशील पारि-प्रणाली को संरक्षित करने के लिए, विभिन्न पर्यावरणीय सुरक्षोपाय/शर्तें निर्धारित करता है। इनमें भूस्खलन प्रबंधन योजना, भूस्खलन के प्रति संवेदनशीलता संबंधी व्यापक अध्ययन, क्षेत्र की पारि-संवेदनशीलता का अध्ययन, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के दिशा-निर्देशों को लागू करना, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ढलानों पर तटबंध बनाना, मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना करना, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) का अनुपालन करना, जलग्रहण क्षेत्र शोधन (सीएटी) योजना, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) का कार्यान्वयन करना, वन्यजीव संरक्षण योजना का कार्यान्वयन करना, हरित पट्टी का विकास करना और वन संरक्षण योजना तैयार करना, मलबा निपटान स्थलों का स्थिरीकरण करना, ई-प्रवाह की वास्तविक समय निगरानी करना, बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणाली और बांध टूटने की स्थिति में आपातकालीन तैयारी करना जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, वन/संरक्षित क्षेत्रों में स्थित किसी भी परियोजना के लिए वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत सक्षम प्राधिकारी और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही उसके उपयोगकर्ता अभिकरण को अनुमति दी जाती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को कम करने और संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्माण कार्यों सहित कतिपय कार्यों को विनियमित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-संवेदी क्षेत्र (ईएसजेड) को भी अधिसूचित किया है। इन उपायों का उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करना और पहाड़ी क्षेत्रों सहित इन संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरण और जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (एनआईएचई) ने पहाड़ी क्षेत्रों की पारि-प्रणाली के संरक्षण के लिए भारतीय हिमालयी क्षेत्र हेतु विकास योजना में क्रमिक प्रगति, सतत हिमालयी पारि-प्रणाली के लिए शासन व्यवस्था (जी-एसएचई), हिमालय के लिए कार्य योजना और कार्य बल रिपोर्ट- योजना आयोग जैसे कई दिशानिर्देश और दस्तावेज तैयार किए हैं।

*****

'पहाड़ी क्षेत्रों/आईएचआर में परियोजनाएं' के संबंध में श्री चरनजीत सिंह चन्नी द्वारा दिनांक 10.03.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1754 के उत्तर के भाग (क) तथा (ख) में उल्लिखित संलग्नक-I

क्र. सं.	उपयोगकर्ता अभिकरण का नाम	परियोजना का नाम	राज्य	स्वीकृति प्रदान करने की तिथि
1	एसजेवीएन लिमिटेड	लुहरी जलविद्युत परियोजना चरण - 1	हिमाचल प्रदेश	17-03-2020
2	यूजेवीएन लिमिटेड	लखवार बहुउद्देशीय परियोजना	उत्तराखंड	02-02-2021
3	मध्य भारत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	रोंगनीचू एचईपी	सिक्किम	02-02-2021
4	जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम	उझ बहुउद्देशीय परियोजना	जम्मू और कश्मीर	18-03-2021
5	जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड	करछम वांगटू जलविद्युत परियोजना	हिमाचल प्रदेश	06-08-2021
6	टिडोंग पावर जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड	तिदोंग-I जलविद्युत परियोजना के लिए 50 मेगावाट (चरण-II) की तीसरी इकाई	हिमाचल प्रदेश	06-08-2021
7	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	विष्णुगाड पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना	उत्तराखंड	26-08-2021
8	एसजेवीएन लिमिटेड	सुन्नी बांध परियोजना	हिमाचल प्रदेश	04-02-2022
9	एनटीपीसी लिमिटेड	रम्मम जलविद्युत परियोजना, चरण-III	पश्चिम बंगाल	26-08-2021

*****